केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

सं.सीबीएसई/कार्मिक-ए/7वें सीपीसी/2018/4125-32 दिनांक : 29.08.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 7वें केन्द्रीय सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम 2016 के अंगीकरण तथा कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशा-निर्देशों के संबंध में।

केन्द्रीय सरकार के निर्णय तथा बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए उत्तरवर्ती अनुमोदन के फलस्वरूप, केन्दीय सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम 2016, अनुसूची के भाग ए में यथा समाविष्ट, वेतन मैट्रिक्स के अनुसार, परिशोधित वेतनमान को बोर्ड में 01.01.2016 से अंगीकृत/कार्यान्वित किया गया है; जैसा कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के द्वारा जीएसआर 721 (ई) के तहत सीबीएसई में 25.07.2016 से यथा अधिसूचित किया गया है जो कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्या. ज्ञा. सं. फ. सं. 1/1/2016-ई. III(ए) दिनांक 13.01.2017 में समाविष्ट अनुबंधों के अनुसार है। (सीबीएसई/सं. सचिव (प्रशा एवं विधि)/2017/466-490 दिनांक 13.01.2017 के तहत)

2. तद्नुसार, बोर्ड के सभी कर्मचारियों (दिल्ली/एनसीआर में तैनात) से केन्द्रीय सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम 2016 की अनुसूची के भाग ए में समाविष्ट वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन निर्धारण करने के लिए अपने संबंधित कार्यालय की “कार्यान्वयन समिति” को अपना विकल्प फार्म प्रस्तुत करने को कहा जाता है। (सीबीएसई/कार्मिक-ए/7वें सीपीसी (आरपी)/2017 दिनांक 01.02.2017 के तहत)

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, द्वारा निर्गत किए गए कार्यालय ज्ञापन सं. 21/5/2017-ई-II(बी), 2/5/2017- ई-II(बी) और 12(4)2016 - ई - III ए दिनांक 07.07.2017 के अनुसरण में, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता को प्रदान करने और परिवार नियोजन भत्ता को बंद करने के लिए 7वें सीपीसी की सिफारिशों को बोर्ड में (क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों/उ.के. सहित) 07.07.2017 से कार्यान्वित तथा अंगीकृत किया गया है। (अधिसूचना सं. सीबीएसई/कार्मिक-ए/7वें सीपीसी/ 2017/602-09 दिनांक 24.07.2017 और अधिसूचना सीबीएसई/कार्मिक-अ/7वें सीपीसी/2017/1988-95 दिनांक 13.10.2017 के तहत)

4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, द्वारा निर्गत किए गए कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV दिनांक 13.07.2017 के अनुसरण में, परिवहन भत्ता प्रदान करने के लिए 7वें सीपीसी की सिफारिश को बोर्ड में (क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों/उ.के. सहित) 01.07.2017 से पूर्णत: कार्यान्वित तथा अंगीकृत किया गया है।

“शिक्षा केन्द्र”, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092
"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092
फोन / Telephone : +91-11-22509256, 22509257 वेबसाइट/Website: www.cbse.nic.in

अत: जैसा कि ऊपर कहा गया है, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यूनिटों के सभी प्रमुखों/क्षेत्रीय निदेशकों, क्षेत्रीय अधिकारियों/उ.कें. के प्रभारियों से 7वें सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन का पूर्णत: पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

यह बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

हस्ता/
(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :-

1. अध्यक्ष, सीबीएसई के निजी सचिव
2. बोर्ड सचिव/परीक्षक नियंत्रक/निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक के व.नि.सचिव
3. संयुक्त सचिव, आई.टी./व. ज. संपर्क अधिकारी/उ.के. प्रभारी, सीबीएसई
4. अनुभाग अधिकारी स्तर तक के सभी अधिकारियों को अपने संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाने के निर्देश सहित
5. अधीक्षक, एसबीएसडब्ल्यूए, सीबीएसई
6. नोटिस बोर्ड
7. सूचना पट्ट
8. गार्ड फाइल

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092
"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092
फोन / Telephone : +91-11-22509256, 22509257 वेबसाइट/Website: www.cbse.nic.in